हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

# समता ज्योति

वर्ष : 11 अंक : 11 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 नवम्बर, 2020

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये ( चार पेज )

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू (27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

# एससी-एसटी व्यक्ति के अपमान का यदि गवाह नही तो गुनाह नहीं

## उत्तराखंड में जमीन विवाद के मामले में अदालत ने आरोपी को बरी किया

नई दिल्ली: किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को लेकर घर के भीतर कही कोई अपमानजनक बात, जिसका कोई गवाह न हो, वह अपराध नहीं हो सकती। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसी के साथ शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर लगा अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम का मुकदमा रद करने का आदेश दिया है।

उत्तराखंड के इस मामले में एक औरत ने हितेश वर्मा पर घर के भीतर अपमानजनक बातें कहने का आरोप लगाया था। इसी के आधार पर पुलिस ने आदमी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत सभी तरह के अपमान और धमकियां नहीं आतीं। अधिनियम के तहत केवल वे मामले आते हैं जिनके चलते पीड़ित व्यक्ति समाज के सामने अपमान, उत्पीड़न या संत्रास झेलता है। अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए अन्य लोगों की मौजूदगी में अपराध होना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि तथ्यों के दृष्टिगत अनुसूचित जाति-जनजाति (उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम के सेक्शन 3(1)(आर) के अनुसार अपराध नहीं हुआ है। इसलिए मामले में दाखिल आरोप पत्र को रद किया जाता है। आरोपित व्यक्ति के खिलाफ अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर मुकदमा चलाया जा सकता है।

कोर्ट ने 2008 में इस सिलसिले में दिए गए एक अन्य फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उसमें भी सार्वजनिक स्थान और ऐसा स्थान जहां पर लोगों की मौजूदगी हो, को परिभाषित किया गया है। अगर कोई अपमानजनक कृत्य खुले में होता है और उसे अन्य लोग देख-सुन लेते हैं, तो वह एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।

### कोर्ट ने कहा, सिर्फ गाली देने से ये एक्ट नहीं लग सकता

उच्च जाति के व्यक्ति ने किसी एससी/एसटी के व्यक्ति को गाली दी हो तो भी उस पर एससी / एसटी एक्ट के तहत कारवाई नहीं की जा सकती। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम में अपमान धमकिया नहीं आती। इस कानून में केवल उन्हीं मामलों को लिया जाता है जिनके कारण पीड़ित व्यक्ति समाज के सामने अपमान व उत्पीड़न झेलता है।

- जस्टिस हेमंत गुप्ता सुप्रीम कोर्ट

### यू समझें मामला

पिथौरागढ में एससी / एसटी की एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने हितेश वर्मा पर घर के भीतर अपमानजनक बातें कहने पर एससी /एसटी एक्ट में केस दर्ज किया था। हितेश ने हाईकोर्ट में केस खारिज करने की मांग की। हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। तब वह सुप्रीम कोर्ट गया ।

### सवर्ण पर केवल इसलिए केस नहीं कर सकते क्यों कि उस पर एससी /एसटी वर्ग के व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से महज इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि उस पर एससी /एसटी समुदाय के व्यक्ति ने आरोप लगाएं हैं। अपराध के गवाह होने चाहिए । जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि आरोपी ने सोच - समझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जाति के कारण किया है, तब तक आरोपी पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ।

# मुख्य सचिव पद पर निरंजन आर्य की अविधिक नियुक्ति को निरस्त किया जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमों का उल्लंघन करने वाली, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लंघन करने वाली, संविधान के अनुच्छेद 312 का उल्लंघन करने वाली, योग्यता व श्रेष्ठता का अपमान करने वाली एवं राज्य के हितों की अनदेखी करने वाली मुख्य सचिव के पद की नियुक्ति को निरस्त करने हेतु राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में निवेदन किया है कि राज्य सरकार द्वारा दस वरिष्ठ, योग्य एवं श्रेष्ठतर आई.ए.एस. अधिकारियों की अनदेखी करते हुए अविधिक, असंवैधानिक तथा तानाशाहीपूर्ण तरीके से निरंजन आर्य को राज्य के मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री का यह निर्णय अपने निजी, राजनैतिक एवं अपवित्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए पद का दुरूपयोग एवं आम नागरिकों से विश्वासघात है। यह कृत्य अविधिक एवं असंवैधानिक भी है क्योंकि यह आदेश भारतीय प्रशासनिक सेवानियमों का उल्लंघन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लंघन है, राज्य के हितों की अनदेखी और राजनैतिक स्वार्थ की पुर्ति है, योग्यता व श्रेष्ठता का अपमान करने वाला है, संविधान के अनुच्छेद-312 का उल्लंघन है।

1. यह आदेश भारतीय प्रशासनिक सेवानियमों का उल्लंघन है।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लंघन है।
3. राज्य के हितों की अनदेखी और राजनैतिक स्वार्थ की पुर्ति है।
4. योग्यता व श्रेष्ठता का अपमान करने वाला है।
5. संविधान के अनुच्छेद-312 का उल्लंघन है।

दस वरिष्ठ, योग्य एवं श्रेष्ठतम-कर्मठ आई.ए.एस अधिकारियों को अपमानित करके यह संदेश देने वाला है कि जो अधिकारी अपनी पत्नी को कांग्रेस से चुनाव लड़ायेगा उसे अविधिक तरीके से पुरष्कृत किया जायेगा।

मुख्यमंत्री द्वारा सभी मर्यादाओं को ताक पर रखकर निरंजन आर्य को मुख्य सचिव पद पर पदोन्नत करने का यह निर्णय संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करते हुए पक्षपात, दुराशय, जातिवाद, भ्रष्टाचार, निकृष्टता को बढावा देने वाला तथा लोकप्रशासन को लज्जित करने वाला है।

पत्र में प्रार्थना की गई थी कि निरंजन आर्य की मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति को तत्काल निरस्त करें। और इस पत्र को कानूनी नोटिस समझें।

इस ज्ञापन की प्रति सभी विधायकों को भी भेजी गई है। इस ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण समता आन्दोलन समिति द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार की गई है।

अध्यक्ष की कलम से

## सेवानिवृति मृत्यु नहीं है, राजा के जीवन की शुरूआत है

साथियों,

सभी जानने लगे हैं कि समता आन्दोलन अपने देश को हर तरह की बुराइयों से मुक्त करवाकर श्रेष्ठ देश बनाने का आन्दोलन है, यह केवल जातिगत आरक्षण और जातिवादी राजनीति को खत्म करने तक सीमित रहने वाला आन्दोलन नहीं है।

समता आन्दोलन के आठ हजार से अधिक पदाधिकारी जो राजस्थान के अलावा अन्य नौ राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में सक्रीय हैं। इनमें से अधिसंख्य राजकीय सेवारत या सेवानिवृत कर्मचारी हैं जो पदोन्नति में जातिगत आरक्षण समाप्ति अभियान के कारण स्वाभाविक रूप से संगठन से जुड़े हैं। उनमें से अनेक लोग अपने को मृत मान बैठे हैं या इस गलतफहमी के शिकार हैं कि "बहुत काम कर लिया, अब घर पर आराम करेंगे, मस्ती करेंगे।" जो लोग सेवानिवृति के बाद कोई काम नहीं करना चाहते, खूब आराम करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं वे ना तो आराम कर सकते हैं और ना ही मस्ती कर पाते हैं। ईश्वर ने हमारे शरीर को इस तरह का बनाया है कि इसे जितना सक्रीय रखेंगे उतना ही ये स्वस्थ और दीर्घायु रहेगा। इस शरीर को जितना आलसी, आरामतलब या निष्क्रीय रखा जायेगा, ये उतना ही अधिक बीमार और दु:खदायी हो कर अल्पायु हो जायेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर, परिवार और आसपास के समाज में इस सार्वभौम सत्य को सत्यापित कर सकता है।

..... शेष पृष्ठ चार पर

## सम्पादकीय

# ''जातिवाद अब भारत को नहीं ठग पायेगा''

एक -दो-चार नहीं बल्कि ग्याहर आई ए एस की वरिष्ठता को नकार के राजस्थान की सब से बड़ी प्रशासकीय कुर्सी पर एक जातिवादी को बैठा दिया गया है। किस सरकार द्वारा? उस कांग्रेस की सरकार द्वारा जिसके प्रथम पुरूष रहे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में जातिवादी आरक्षण को सन् 1961 में देश के भविष्य के लिये अभिशाप सिद्व होना घोषित किया था? या उस अशोक गहलोत द्वारा ऐसा किया गया जो स्वयम् को गांधीवादी जननेता कहता है??

इस संवैधानिक दुर्घटना पर अदालत जो कहेगी उसे तो समय पर ही सुना जा सकेगा। लेकिन जिस तरह मजबूत निपक्ष को चुप और उदासीन देखा जा रहा है उससे तो यही संकेत मिलता है कि सत्ता के खेल को नूरा कुश्ती में बदला जा चुका है और प्रदेश की जनता मात्र ताली पीटने वाली दर्शक भर बना दी गई है। जिस निरंजन आर्य वो सर्वोच्च सी एस का पद सौंपा गया है उनकी जातिवादी छवि उनकी प्रतिष्ठा से आगे चलती है । हाल ही उन्होंने बिना पद के कोई तेरह सौ लोगो को सरकारी नौकरी दी है उस कलंक को जस्टिफाई करने के लिये सी.एस. का पद किसी हड़बड़ाहट का संकेत तो नहीं है?

हड़बड़ाहट तो है। जहाँ-जहाँ कथित कांग्रेस की या उसकी समर्थित सरकारें हैं वहाँ जातिवादी समीकरणों को फिर से उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। देश सबका-साथ सबका विकास का मूलमत्र लेकर आगे बढना चाहता है तो कथित कांग्रेस अभी भी अपने प्रथम पुरूष पं. नेहरू के सपनों को पलीता लगाने में व्यस्त है। इससे संकेत नहीं तथ्य मिलता है आज देश में कांग्रेस नाम की कोई पार्टी है। जो होने का दावा कर है वो मात्र इमिटेशन हैं ।

बिहार विधान सभा चुनावों में जातिवादियों का जो हश्र हुआ है उसे देखकर राष्ट्रवादी प्रसन्न हैं। पासवान पार्टी सूपड़ा साफ जीतन मांझी मात्र नाम लेवा, मायावती गायब, तेजस्वी का जातिवादी तेज मंद हुआ..... । और कथित कांग्रेस 29- 27 के बाद 20 पर ही सिमट कर मुह से थूक उछालने को बहादुरी बता रही है। मध्यप्रदेश के उपचुनाव परिणाम तो कथित कांग्रेस की हड़बड़ाहट का और भी साफ प्रमाण है।

देश करवट ले रहा नहीं है, ले चुका है। अब भारत जातिवाद के हाथों ठगा नहीं जायेगा। ई.डब्ल्यू.एस का दस प्रतिशत आरक्षण कथित कांग्रेस की गले की फाँस बन गया है। इसमें तरह-तरह से अड़चने खड़ी करने के सरकारी प्रयासों के चर्चे सुनवाई देते है। संकेत यही लगता है कि देश तो निर्णय कर चुका है आरक्षण सपापन का। इससे जातिवादी सरकारें हड़बड़ाई हुई है। अंततः उन्हे सच मानना ही होगा। यही समय का सच है।

जय समता

**- योगेश्वर झाड़सरिया**

# ''अब हर इन्सान की भूमिका निर्धारित होनी जरूरी है''

यह तो भविष्य बतायेगा कि शिवसेना का हिन्दुत्व (असली) मुठीभर विधायकों के बावजूद महाराष्ट्र की शासन सत्ता पर काबिज है तो बिहार में भाजपा का हिन्दुत्व (छद्म) दोहरी संख्या में विधायकों के होते हुए भी नीतीश कुमार क्योंकर वहाँ के मुख्य मंत्री बन गये हैं? क्या देश में कथित राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है? जब अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा था कि एकदलीय सरकार के दिन लद गये तो भी ध्वनित और प्रमाणित यही रहा कि बड़ा दल सत्ता चलायेगा। लेकिन पहले महाराष्ट्र और अब बिहार ने स्पष्ट कर दिया हैं कि देश की राजनीति अब ''नम्बर गेम'' से आगे निकल रही है।

केन्द्र में तो अब प्राय: स्पष्ट हो चला है कि अगले 30-22 साल तक भाजपा ही सत्ता में रहने वाली है। हालाकि मोहन भागवत द्वारा आर एस एस की शाखाओं की कमजोर होती स्थिति की तरफ इशारा करना भाजपा को भीतरी तौर पर मथन का अवसर देती है मगर देश के अन्य दलों का लगभग समापन कांड की तरफ बढते जाना भाजपा की सभावना को केन्द्र में प्राय: पूरी तरह निरापद् तो बनाता है। लेकिन इस पार्टी का ''हिंसक राष्ट्रवाद'' भारत को चीन की प्रतिच्छाया न बना दे। ये भय है। जो कथित कांग्रेस की हतभाग्यता से प्रमाणित होता प्रतीत होता है।

हांलाकि अब आगे के तीन दशकों तक कांग्रेस का केन्द्र में आ पाना 'मूंगेरीलाल के हसीन सपनों' से अधिक कुछ भी नहीं है। मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में उपचुनाव और बिहार में कांग्रेस का हश्र देखकर यही अंदेशा लगता है कि देश के करोड़ों अछूतों को मुख्य धारा में लाने वाली मूल कांग्रेस अपने कर्मों से कथित कांग्रेस में बदलकर खुद ही राजनैतिक अछूत की श्रेणी में आ चुकी है । यदि बिहार में महागटबंधन न होता तो संभवत: भारत की दूसरी बड़ी राजनैतिक पार्टी को वहाँ पांच सीटे भी नहीं मिलतीं। सच में देखा जाये तो कांग्रेस हार के कारणों पर मथन करने की हालत में बची ही नहीं है। फिर भी अधीर रजन और कपिल सिब्बल की तू-तू मैं-मै मात्र दिलचस्प घटना है।

निर्पेक्ष विचारक की तरह डर लगता है। सच में डर लगता है कि श्रीमती सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस का कथित होना क्या-क्या गुल खिलायेगा? उनकी दोनों संताने कुशल नेता तो क्या अभिनेता तक नहीं बन सकीं है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने पावों पर चलने का इमानदार प्रयास किया लेकिन भाजपा के कुशल और वाचाल लोगों ने मात्र शब्दों के प्रहार से उन्हें लाचार और अपनी ही नजरों में नकारा घोषित कर दिया । देश और यहाँ के मानव समाज की समझ नहीं होने के कारण वह लगातार अकेले होते गये और अन्ततः दुबक गये। राहुल और प्रियंका को लगता रहा होगा कि सत्ता पर उनका नैसर्भिक अधिकार है । लेकिन वे इतना भी प्रमाणित नहीं कर पाये।

नरेन्द्र मोदी है तब तक बड़े नेताओं के रूप में एक दो लोगों को गिना जा सकता है । फिर बड़े दलों और बड़े नेताओं के अभाव में देश का क्या होगा-? ये सोचना भविष्य का काम है। वर्तमान तर्क ये है कि आज जातिवाद,धार्मिक उन्माद, सम्प्रदायवाद, कथित विकासवाद के बाद आक्रामक राष्ट्रवाद का समय आ सकता है। ये सही हैं कि दुनिया को इसको लेकर दुखद परिणाम देखने को मिले है। लेकिन जब कथित राजनेता जिद्व और जड़ता पर आते है तो जनता मात्र राजनैतिक यज्ञ की समिधा बनकर रह जाती है।

भाजपा, कथित कांग्रेस, केन्द्र सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, स्तरहीन बिकाऊ मीडिया..... आदि को कोरोना वायरस ने जितना और जैसा शर्मिंदा किया हैं उससे इन सारी सस्थाओं पर फिर से विश्वास कर पाना बहुत कठिन होने वाला है। यह याद रखा जाना चाहिये कि भूखे को जब चाँद में रोटी दिखाई दे तो हालात किसी कि वश में नहीं रह पाते हैं। इसके लिये जरूरी है कि लोकतंत्र को कमान पार्टियों के हाथ में ही रहनी चाहिये न कि मोबाइल और आर.एस.एस.जैसी सस्थाओं के हाथ में।

समय आने वाली नहीं आ चुका है कि सिर्फ भाषणबाजी और जुमलों से हालात नहीं सभलने वाले हैं। लोकतंत्र में हर इन्सान की भूमिका निर्धारित होनी जरूरी है। अमेरिका में संदेश आ गया कि बड़े बदलाओं का दौर शुरू हो चुका है। इन हालातों में भारत केवल विश्व का बाजार बनकर न रह जाये। लिखने में यह जितना सरल है व्यवहार में उतना ही जटिल प्रश्न है। इसके लिये देश को फिर से बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी। प्रतिभाऐं गढी तो जा सकती है थोपी नहीं जा सकती। ये भारत को फिर प्रमाणित करना होगा।

-समता डेस्क

# ''क्षेत्रीय आरक्षण का नया भस्मासुर''

जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन के नवोदित श्रेष्ठ नेताओं में हैं नीतीश कुमार । तत्कालीन जनता पार्टी के एक और प्रखर नेता थे राम कृष्ण हेगड़े जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे। यह संयोग नहीं हो सकता कि हेगड़े ने कोई चालीस साल पहले देश को जातीय आरक्षण संतुलन का जो विचार दिया था उसे हू ब हू दोहराया है नीतीश कुमार ने । वह विचार है कि ''देश में जितने भी जातीय समूह हैं उनकी गणना के अनुसार आरक्षण दे दिया जावे''-।

बासी कढी में उबाल की तरह उछाले गये इस विचार को बिहार चुनाव के दौरान किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया । फिर भी इससे दो बाते उभरीं। पहली ये कि असंदिग्ध रूप में नीतीश अपनी संभावित हार से हकबकाए हुए थे और दूसरी अच्छी बात ये कि बिहार की जनता ने इसे महत्व नहीं दिया है। अतः जातिवादियों के बैचारिक पराभव पर समतावादी लोग संतुष्ट और प्रसन्न हैं। फिर भी मन के भीतर ये भय अभी खड़ा है कि जो जातीय जनगणना करवाकर रख छोड़ी है कहीं उसे लागू करने का विचार तो नही पक रहा है?

भारत ने जाति आरक्षण के नाम पर जो खून के आसू अब तक रोये हैं और रो रहा है वह सभी कथित राजनैतिक दलों को शर्मिन्दा कर देने के लिये काफी है। बशर्ते उनमें शर्म बची हो । लेकिन ऐसा लगता नही है कि ये दल भारत की खुशहाली निरापद चाहते हो ? अब इन दलों ने जाति आरक्षण से भी अधिक घृणित कदम उठाकर क्षेत्रीय आरक्षण का असंवैधानिक मुद्दा उछालना शुरू कर दिया है। यह छूत की बीमारी दक्षिण के छोटे से प्रदेश से शुरू हुई और कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्ली आदि में फैलती चली गई। अदालतें इस पर लगातार रोक लगती जा रही हैं फिर भी चोर दरवाजे से सबकुछ चल रहा है। यदि हेगड़े से नीतीश तक आरक्षण का विचार वर्तमान है और क्षेत्रीय आरक्षण का नया भूत खड़ा किया जा रहा है तो देश को ''स्टैच्यू ऑफ यूनिटी'' भी एक रख पायेगी इसमें शक हैं। - समता डेस्क

**पौराणिक कथन : 'उर्वशी'**

स्वर्ग की अप्सरा जो नारायण के ऊरू प्रदेश से उत्पन्न। ब्रह्मा के शाप से वह मनुष्य योनि में आई।

स्वाहा-स्वाहा कहते सुनते,
सब मंत्रोच्चारण भूल गये।
जात समुन्दर नैया डगमग,
अब कौन रचे मस्तूल नये।।

कविता

## रोशनी आकर रहेगी

अँधकार ये जानता है,
रोशनी आकर रहेगी ।
जो आसमां मंदाकिनी.
गंग बल धरती बहेगी।
फिर वही फुफकारता है,
खुद कभी ललकारता है,
लोक का सामंत बनकर-,
हेंकड़ी हुंकारता है।
पर नहीं ये जानता वो-
धार बस आगे बढेगी....।
अँधकार ये जानता है,
रोशनी आकर रहेगी ।
प्रेत बाधा बन सका न,
प्रेम धागे जुड़ सका न,
जात को देने दिलासा-
जड़ रहा और उड़ सका न।
भेड़िया दिख भेड़ कब तक-
बोलना चुप रह सकेगी।
अँधकार ये जानता है,
रोशनी आकर रहेगी ।
अजब से करतब दिखाए,
देखने कोई न आये,
रात भर बेकार जागे-
संकटों में बड़बड़ाए।
मन विमदित हो भले ही-
चेतना सबकुछ कहेगी।
रोशनी भी जानती है,
रोशनी आगे चलेगी।।
अँधकार ये जानता है,
रोशनी आकर रहेगी ।

-वाई.एन.शर्मा

# मूल्यांकन के मानदंड

**गतांग से आगे:-**

लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उच्च न्यायालय एक उच्च संवैधानिक संस्था है और वह अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक है। वह तो पहले से ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए 24 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कर रहा है, वह भी इस संबंध में किसी औपचारिक कानून के अभाव में- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। यदि राज्यपाल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण करना चाहते थे तो वह उच्च न्यायालय को इसके लिए तैयार कर सकते थे, जो अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हैं।''यह समझना सरल है कि उच्च न्यायालय न्यायिक सेवा में आरक्षण लागू करने और उसका अनुपात निर्धारित करने के राज्यपाल के विचार का अनुमोदन कर सकता है; इस संबंध में उपयुक्त प्रावधान या उपाय सुझाने के लिए वह (उच्च न्यायालय) सक्षम प्राधिकरण भी है; अनुच्छेद 335 को ध्यान में रखकर जिसके अनुसार सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संदर्भ में प्रशासन की गुणवत्ता के अनुरूप विचार किया जाना चाहिए।'' यह सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय इस बात से दु:खी था कि कुछ लोग इस संदर्भ में न्यायपालिका की निष्ठा को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। उसने कहा था-

यह बात हमारी समझ से परे है कि अनुच्छेद 234 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के परामर्श से कानून बनाते समय राज्यपाल अनुच्छेद16(1) अथवा अनुच्छेद16(4) के अंतर्गत रखी गई संवैधानिक शर्तों का ध्यान में क्यों नहीं रखेगा। वस्तुत: बिहार न्यायिक सेवा भरती कानून, 1955 से संबंधित इस मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और पटना उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुरूप आरक्षण के अनुपात को लागू कर दिया है।

जहाँ तक प्रवर न्यायिक सेवा की बात है, यह सच है कि इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। किंतु इस प्रकार का प्रावधान राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से तथा साथ ही अनुच्छेद 335 के अंतर्गत रखी गई शर्त-अर्थात् प्रशासन की कुशलता अथवा गुणवत्ता- को ध्यान में रखकर तैयार किया जा सकता था।

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत रखी गई शर्तों की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। यह सोचना भी ठीक नहीं है कि राज्य की न्यायिक सेवाओं में भरती के संदर्भ में

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत रखी गई शर्तों की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की विशेष समझ होनी चाहिए।

विचार करते समय उच्च न्यायालय अनुच्छेद 16(1) और 16(4) के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखेगा। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की विशेष समझ होनी चाहिए।

निस्संदेह, अंत में शेष बचे आसान काम को न्यायपालिका केवल कुछ समय के लिए लंबित कर सकती है। जैसा हम देख चुके हैं, कार्यपालिका और विधायिका ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बार-बार बदला है- कानूनों में संशोधन करके या संविधान को ही संशोधित करके। खैर, मैं न्यायालयों के प्रतिरक्षात्मक रवैए की बात कर रहा था।

### मूल्यांकन अभ्यार्थी का नहीं बल्कि(मूल्यांकन के) मानदंड का

अब बात आती है कि आखिर मानदंडों को किस हद तक गिराया जा सकता है ? स्वयं न्यायपालिका में भरती के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय यह आग्रह करता है कि मानदंडों को पर्याप्त नीचे लाया जाए। और इस पर्याप्तता का क्या मानदंड है? यही कि आरक्षण-प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। अब आइए, देखते हैं राम भगत सिंह बनाए हरियाणा राज्य मामले में न्यायालय किस तरह मामले को सामने रखता है।

हम भली-भाँति जानते हैं कि इसमें उच्च स्तरीय कुशलता और गुणवत्ता की आवश्यकता है, क्योंकि यह न्यायिक शाखा में भरती का मामला है, जिसमें नियुक्त किए जाने वाले न्यायिक अधिकारी देश के न्यायिक प्रशासन के प्रभारी होंगे। लेकिन साथ-ही-साथ यदि संभव हो तो अवसर की समानता सुनिश्चित करने हेतु नौकरी में नियुक्ति के लिए अर्हता अंक कुछ इस प्रकार निर्धारित किए जाएँ, जो प्रशासन की कुशलता के लिए आवश्यक शर्तों के अनुरूप हो और जिसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी आसानी से प्राप्त कर सकें। अर्हता अंक का निर्धारण जब तक इस आधार पर नहीं किया जाता कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी उसे आसानी से प्राप्त कर सके तब तक अवसर की समानता सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा।

अभिप्राय यह हुआ कि-

- कुशलता या गुणवत्ता निस्संदेह महत्वपूर्ण है;
- अत: अर्हता-मानदंड रखा जाना चाहिये,
- लेकिन यह अर्हता मानदंड ऐसा होना चाहिए कि आरक्षण श्रेणी के अभ्यार्थी उसे प्राप्त कर सकें;
- यह मानदंड सही तभी माना जाएगा, जब आरक्षण श्रेणी के अभ्यार्थी नियुक्त हो सकें;
- अन्यथा अवसर की समानता सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी।

यह तो गनीमत है कि कम-से-कम इस मामले में न्यायालय ने मानदंड निर्धारित करने का काम सरकार पर छोड़ दिया है। इसी आधार पर चलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नियंत्रक व महालेखा परीक्षक मामले में (भारत के) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा आरक्षणार्थियों के लिए तय की गई छूट को अनुपयुक्त करार दे दिया तथा उसे बिलकुल भ्रामक बताया और इस प्रकार उसने इस छूट को लगभग बारह गुना ज्यादा करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, उसने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यार्थियों के प्राप्तांक में 25 अतिरिक्त अंक जोडने का प्रावधान करने के लिए सरकार को निर्देश भी जारी कर दिए। सौभाग्य से बाद के फैसलों द्वारा यह निर्णय निरस्त कर दिया गया।

### संविधान का अर्थ-निरूपण और न्यायाधीशों की भूमिका

ऐसा नहीं है कि केवल आरक्षण के मामले में ही ये प्रगतिवादी न्यायाधीश दूसरों को आतंकित करते है; ऐसा भी नहीं है कि उदारवादी न्यायाधीश केवल आरक्षण के मामले में ही सार्वजनिक बहस की दशा और दिशा से भयाक्रांत रहे हैं। न्यायापालिका और उसके बाहर सक्रिय प्रगतिवादियों ने न्यायिक व्यवस्था और विचारधारा में दो महत्वपूर्ण बातें भर दी हैं-संविधान का अलग-अलग मामले में अलग-अलग ढंग से अर्थ-निरूपण कैसे किया जाए और न्यायपालिका की वास्तविक भूमिका क्या है।

आवश्यकता पड़ने पर ये प्रगतिवादी न्यायाधीश अन्य देशों में मामलों या उन पर दिए गए निर्णयों का उदाहरण प्रस्तुत करने से नहीं चूकते और साथ ही पूर्व के निर्णयों को प्राय: अपने निर्णय का आधार बनाना तो इनकी प्रवृत्ति ही हो गई है। लेकिन कई बार इच्छानुसार निर्णय देने के लिए वे पूर्ववर्ती निर्णयों या संविधान में प्रयुक्त शब्दों को भी आड़े नहीं आने देते। यानी आवश्यकतानुसार कभी आगे तो कभी तो कभी पीछे।

ऐसे मौकों पर वे कहते हैं कि संविधान एक गतिशील दस्तावेज हैं। यह एक जीवित संकाय है।

... शेष अगले अंक में

**अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार**

# AFTER INCOME TAX DEPTT. JAIPUR, EXCESS SC/ST PROMOTEES WILL BE DEMOTED IN SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI

Jaipur: As per the judgment of CAT, Jaipur, about 3-4 month before in Income Tax Department, Jaipur, twenty one sc/st employees were demoted to their previous posts because they were promoted beyond the quota limit reserved for them.

In the same manner, the Prinicipal Bench of CAT, New Delhi has delivered a judgment on 2nd Nov. 2020 to demote all sc/st employees in Safdarjung Hospital, New Delhi, who have been promoted in excess to their quota limit fixed for them.

Important direction given by the Prinicipal Bench of CAT, New Delhi in the matter of Diana George and others vs. Union of India and others are given under for information:-

If the quota of SC and ST employees are full, i.e., 15% and 7.5% SC/ST employees are working in any cadre, then:-

***1. There will be no reservation in promotion.***

***2. Catch up rule will have to be followed.***

***3. Excess SC,ST employees will have to be reverted.***

***4. Review DPCs to execute above directions, should be held within 90 days from the date the copy of this judgment is served to the respondents.***

***5. It has been clarified that this judgment of CAT is based on binding directions of the Apex Court in the matters of M. Nagraj, Jarnail Singh and B.K.Pavitra.***

***6. It has further been clarified in this judgment that previous judgments of this CAT in the matters of Ram Pher Yadav and Rajkumar &Others, have been approved by the Delhi High Court.***

***7. So, this judgment orders to the respondents to follow the directions given in the matter of Rajkumar & others and consequently in the matter of Ram Pher Yadav & others.***

In brief, this judgment has further categorically summarised the law that not a single SC/ST employee can be promoted in excess of their quota in any cadre, at any time.

Mr. Parashar Narayan Sharma, National President, Samta Andolan Samiti has delivered his heartiest congratulations to all Samtavadi fighters & perticularly to the petitioners of this Original Application who are working in Sufdarjung Hospital New Delhi.

- Samta Desk

## सैनिक स्कूलों में अगले सत्र से ओरक्षण लागू

नई दिल्ली । देश के सभी 33 सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग – गैर क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया हैं। सैनिक स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र 2021- 22 से आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे।

रक्षा मंत्रालय के निर्णय के अनुसार सम्पूर्ण भारत के 33 सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, डिफेंस केटेगरी 13 प्रतिशत एवं 38 प्रतिशत सामान्य सीटे आवंटित होगी। और जिस राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश में स्कूल है उस राज्य के अभ्यार्थियों के लिए 67 प्रतिशत सीटे आरक्षित होगी। शेष अन्य राज्यों के लिए।

## जाट आरक्षण आन्दोलन पांच महापंचायत बाद बनेगी रणनीति

भरतपुर। भरतपुर-धौलपुर जिले के जाट समाज की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत की गई । गांव पथैना में हुई महापंचायत में निर्णय लिया गया कि पांच और महापंचायत कर आन्दोलन की रणनीति तय की जाएगी। भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति तथा जाट सरदारी की ओर से उपखण्ड के गांव पथैना स्थित श्री सार्दुल स्टेडियम पर भरतपुर-धौलपुर जिला स्तरीय जाट समाज की महा पंचायत हुई। जिसमें भरतपुर-धौलपुर जिला के जाट समाज को राज्य के अन्य जिलों की तरह केन्द्र में ओबीसी आरक्षण में शामिल करने, पूर्व किए आरक्षण में दर्ज मुकदमा वापसी, राज्य सरकार द्वारा दोनों जिले को दिए आरक्षण के तहत साल 2017-18 की सरकारी नौकरियों में नौकरी देना मुद्दे छाए रहे।

## निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 % कोटा देगा हरियाणा

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य के लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है। इसका मतलब है कि राज्य में जहां कहीं भी प्राइवेट नौकरी के अवसर होंगे उनमें से 75 प्रतिशत पद राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे। यानि 75 प्रतिशत हरियाण के शेष 25 प्रतिशत पदों के लिए देश के किसी भी हिस्से के नागरिक नियुक्त किए जा सकते हैं। हालांकि नियोक्ताओं के पास एक जिले से स्थानीय उम्मीदवारों को केवल 10 प्रतिशत तक भर्ती करने का विकल्प होगा। प्रस्तावित कानून में एक छूट का खंड भी शामिल है यदि उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार किसी विशेष श्रेणी के उद्योग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

पृष्ठ एक का शेष...

### अध्यक्ष की कलम से

हम अपने पदाधिकारियों को जब समता आन्दोलन की ओर से किसी कार्य के लिए फोन करते हैं तो सेवानिवृत हो चुके लोगों में से अनेक साथी कह देते हैं कि "मैं तो रिटायर हो चुका हूँ।" ये सुनकर मुझे बहुत दु:ख होता है। सरकारी नौकरी में किसी भी पद पर किया गया काम कोई जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। पैसे के बदले किया गया काम भी कोई काम होता है ? जैसे घर में काम वाली बाई पैसे के बदले झाड़ू-पोंछा करके जाती है, वैसे ही हम पैसे के लिए लोकसेवक की भूमिका निभाते हैं। जो लोग अपनी लोकसेवक की भूमिका का ढिंढोरा पीटते हैं, वे नादान हैं या ढफोरशंख है। ऐसे लोग जीवन यापन को ही जीवन लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। असली काम वो है जो बिना किसी स्वार्थ या पैसे के बदले सार्वजनिक हित में या राष्ट्रहित में किया जावे। लोकतंत्र में लोक अर्थात जनता अर्थात मतदाता ही राजा होता है जो देश, राज्य, जिला व पंचायत के तंत्र को नियम, कानून व संविधान के अनुसार चलाये रखने के लिए पाँच-पाँच वर्षों के लिए सांसद, विधायक, परिषद, पंचायत समिति के सदस्यों के रूप में नौकरों की नियुक्ति या चयन करता है। लोकसेवक तो स्वयं नौकर होता है, सेवा की मर्यादा या समय की कमी के कारण वह लोकतंत्र के राजा की भूमिका नहीं निभा पाता या अपने समाज व राष्ट्र के लिए कोई लक्ष्य लेकर कई बार नहीं चल पाता। सेवानिवृति के पश्चात हम लोकतंत्र के राजा बन कर समाज व देश हित में कुछ भी करने को स्वतंत्र होते हैं। समता आन्दोलन श्रेष्ठ लक्ष्यों के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को सही अर्थों में राजा बनाने वाली संस्था है। अत: मेरा सभी आराम पसंद साथियों से निवेदन है कि सेवानिवृति को मृत्यु ना समझें, आन्दोलन समाज व देश हित के अनेक श्रेष्ठ लक्ष्यों के रूप में आपको असीमित अवसर प्रदान करता है। करता रहेगा।

सादर,

जय समता।

समता आन्दोलन की मुहिम लाई रंग

## केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के ईलाज के लिए जारी किया आयुर्वेद एवं योगा का प्रोटोकोल

समता आन्दोलन द्वारा कोविड-19 का ईलाज भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से करवाने के लिए लगातार सशक्त मुहिम चलाई जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय आयुष मंत्री के साथ राज्यसभा एवं लोकसभा के सांसदों को लगातार ज्ञापन भेजे जा रहे है और "आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये" अभियान को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये जा रहे है। समता आन्दोलन द्वारा इसी क्रम में प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन देकर केन्द्रीय आयुष मंत्रालय में पृथक स्वतंत्र सशक्त अनुभवी और क्रियाशील केबिनेट मंत्री की नियुक्ति करने का सुझाव भी दिया गया है। इसी प्रकार राजस्थान राज्य में भी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विधायकों को ज्ञापन भेजकर कोरोना के ईलाज में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रमुखता से उपयोग में लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है।

खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार द्वारा समता आन्दोलन के अभियान "आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये" को सकारात्मक रूप से लिया गया है। केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री श्रीपद नायक एवं स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन ने पिछले दिनों दिल्ली में सामुहिम प्रेस कांफ्रेंस करते हुये कोरोना के ईलाज के लिए आयुर्वेद और योगा पर आधारित प्रोटोकोल जारी किया है। यह प्रोटोकोल ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, दिल्ली; इन्स्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुऐट ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर; नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर; सेन्ट्रल काउन्सिल फोर रिसर्च इन आयुर्वेद और सेन्ट्रल काउन्सिल फोर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी द्वारा अनुमोदित है।

आयुष मंत्रालय द्वारा जारी आयुर्वेद और योगा आधारित कोविड-19 के ईलाज का यह प्रोटोकोल आम नागरिक को कोविड-19 से बचाव के कुल सात मानदण्ड अपनाने को कहता है। इसी प्रकार खान-पान की आदतों में शामिल करने के लिए कुल चार निर्देश दिये गये है। चार अलग-अलग सारणियाँ जारी करके प्रथम सारणी में कोविड-19 रोग के निरोध हेतु आयुर्वेदिक दवाइयाँ और उनकी खुराक की मात्राओं के साथ बारम्बारता भी बताई गई है। द्वितीय सारणी में असिमटोमेटिक कोविड-19 पोजिटिव मरिजों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां, उनकी मात्रा और बारम्बारता बताई गई है। तीसरी सारणी में सिमटोमेटिक कोविड-19 मरिजों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां, उनकी मात्रा और बारम्बारता बताई गई है। इसी प्रकार चौथी सारणी में ठीक हो चुके मरिजों के लिए भी आयुर्वेदिक दवाइयां, उनकी मात्रा और बारम्बारता बताई गई है।

आयुष मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के बचाव और ईलाज के लिए योगा का प्रोटोकोल भी जारी किया गया है, जिसमें अलग-अलग योगासनों एवं यौगिक क्रियाओं की समय सीमा निर्धारित करते हुये कुल 45 मिनट का चार्ट जारी किया गया है तथा कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी सुबह और शाम लगातार की जाने वाली प्राणायाम क्रियाओं की सारणियाँ जारी करते हुये 30 मिनट और 15 मिनट के दो-सेशन अपनाने की हिदायत दी गई है। आठ पृष्ठों की यह पूरी अधिसूचना आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है जिसे आसानी से डाउनलोड करके प्रिन्ट लिया जा सकता है। और आयुर्वेद और योगा के आधार पर कोविड-19 को हराने के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक किया जा सकता है। आने वाले समय में कोविड-7 के उपचार के लिए जारी इस अधिकृत अधिसूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समता आन्दोलन द्वारा बड़े स्तर पर अभियान चलाये जाने की योजना है।

**समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।**

**न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।**

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in